

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

64 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

तारीख दायरा

06.08.2020

तारीख निर्णय

25.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री प्रहलाद राय शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी गोलेडा पोस्ट कांकलवाड तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स न्यू बालाजी दूध डेयरी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

2-मैसर्स न्यू बालाजी दूध डेयरी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26  
(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 25.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.01.2020 को समय 3.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स न्यू बालाजी दूध डेयरी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0पर पहुंचा। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री प्रहलाद राय शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी गोलेडा पोस्ट कांकलवाड तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स न्यू बालाजी दूध डेयरी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी खुला रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री प्रहलाद राय शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता प्रहलाद राय शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



1244

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक





प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी खुला का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी खुला का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री प्रहलाद राय शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी गोलेडा पोस्ट कांकलवाड तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.वी.ओ. मैसर्स न्यू बालाजी दूध डेयरी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0पर शास्ति 21,000 (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



5325-8-21  
(मुरारी लाल मजिस्ट्रेट  
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0